

हरिभूमि

महासमुंद न्यूज

रायपुर, रविवार 21 सितंबर 2025

तापमान



अधिकतम 32.2 डिग्री

न्यूनतम 24.6 डिग्री

सरायपाली | बसना | पिथौरा | बागबाहरा | तुमगांव | खरियार रोड

12 कराते प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने बंटोरे ...



12 स्वच्छता ही सेवा अभियान: महामाया तालाब की ...



जिले में 33 दिनों से बेपटरी हुई स्वास्थ्य सेवाएं हुई बहाल, मिली राहत

हरिभूमि न्यूज | महासमुंद

मुख्यमंत्री के दखल के बाद एनएचएम अधिकारी-कर्मचारियों की हड़ताल हुई समाप्त

यह मांगें हुई पूरी

पांच लाख तक केशलेश चिकित्सा बीमा सुविधा, 30 दिनों का सैवैतिक चिकित्सा अवकाश, जुलाई 2023 से 5 प्रतिशत वेतन वृद्धि, वार्षिक कार्य मूल्यांकन में पारदर्शिता। वहीं अन्य मांगों संविलियन/स्वास्थ्यकरण, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, वेड पे, अनुकंपा नियुक्त पर कमेटी बनाकर तीन महीने में रिपोर्ट सौंपनी। एनएचएम कर्मचारी संघ के इयूटी जवाइन करते समय महासमुंद विधायक राजू सिन्हा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय पहुंचे और आश्चर्य किया कि कर्मचारी के हित में शासन द्वारा निर्णय लिया जाएगा। डॉ वीपी सिंह डीएचओ, डॉ सीपी चंद्रकार, डॉ घनश्याम साहू का भी सराहनीय सहयोग रहा



यह भी रहे मौजूद

इस दौरान कर्मचारी डॉ मधुराज देवांगन, लीएल मिश्रा, लक्ष्मण सिंह, एकेश्वर शुक्ला, उत्तम श्रीवास्तव, जयकांत विश्वकर्मा, परमेश्वर सेन, प्रवीण नगदेव, कोमल साहू, आशीष नंद, हिरेंद्र कर, कमला तांडी, देवकुमार इडरोणा, दुधेश पटेल, अशुभन चंद्रकार, गेवेद नौरंग, मीनाक्षी टकसाले, मुकेश निषाद, सुनील साहू, मेधा ताम्रकार, त्रिवेणी चक्रधारी, निर्मल साहू, ओकर पाठक, रवि शंकर काश्यकर, रामप्रसाद दीवान, टेकलाल नायक समेत सभी कर्मचारियों ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ आई नगेश्वर राव का आभार जताया।

आरक्षण की मांग का निर्णय केन्द्र से होगा। जिसके बाद हड़ताल समाप्त का निर्णय लिया गया।

खबर संक्षेप



मारपीट के मामले में चार के खिलाफ जुर्म दर्ज

महासमुंद। बसना में कुछ लोगों ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर दी। मामले की रिपोर्ट पर बसना थाने में चार आरोपियों के विरुद्ध जुर्म दर्ज किया गया है। पुलिस को पवन सोनवानी ने बताया कि 15 सितंबर की रात करीब 11 बजे उसने अपने घर की छत से देखा कि जून तालाब के सरकारी शौचालय के पास कुछ लोग गाली गलौज कर रहे हैं। वहां जाकर देखा तो पता चला कि दिनेश, भूषण, सुभाष, दीपक और अन्य लोग नशे में थे एवं गाली गलौज कर रहे थे। जिन्हें उसने मना किया, लेकिन वे लोग नहीं माने। जब वह पार की ओर से घूमकर अपने घर वापस जा रहा था तभी से पीछे से मोटर साइकल में दिनेश, भूषण, सुभाष, दीपक आये और गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने लगे। रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 3(5), 351(2) के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

एक्सीडेंट में एक की मौत

महासमुंद। ट्रक की टक्कर से एक बुजुर्ग की मौत के मामले में बागबाहरा थाने में आरोपी वाहन चालक के विरुद्ध जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि बागबाहरा भानपुर निवासी अजय ठाकुर ने रिपोर्ट लिखाई है कि सुबह वह अपने दुकान में था, तभी उसे सूचना मिली उसके पड़ोसी शिवलाल मिर्धा का विश्वा ढाबा के पास एक्सीडेंट हो गया। सूचना मिलने के बाद जब उसने विश्वा ढाबा के पास जाकर देखा तो उसका पड़ोसी शिवलाल मिर्धा घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, वहीं कुछ दूर में बल्कर ट्रक खड़ी थी। उसी समय डायल 112 वाहन आयी और घायल शिवलाल मिर्धा को इलाज के लिए बागबाहरा अस्पताल लेकर गये। जहां डॉक्टर द्वारा शिवलाल मिर्धा की मौत हो जाना बताया गया। इसके बाद उसने ढाबा के पास जाकर लोगों से पूछताछ किया। तब लोगों ने बताया कि बल्कर ट्रक क्र. सीजी 07 सीएल 8455 खरियार रोड की तरफ से आ रहा था, जिसके चालक ने अपने वाहन को तेज एवं लापरवाही पूर्वक चलाते लाकर रोड क्रॉस कर रहे शिवलाल मिर्धा को एक्सीडेंट कर दिया, जिससे उसको गंभीर चोटें आईं। मामले में आरोपी वाहन चालक के विरुद्ध धारा 106(1) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

जांच की मांग : घुटनों के बल मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या कर फांसी लटकाने का आरोप

मजदूर दलाल के दफ्तर में संदिग्ध मौत

हरिभूमि न्यूज | महासमुंद/पिथौरा

नगर में शुक्रवार को एक ईंट भट्टा संचालक

■ मजदूर दलाल मृतक को तीन दिन तक बंधक बनाकर रखा, मिली लाश

के कार्यालय में 45 वर्षीय मजदूर जलंधर यादव का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। शव घुटनों के बल जमीन पर मिला और फंदा खिड़की से बंधा था। मृतक के परिजनों ने भट्टा संचालक और उसके साथियों पर अपहरण और हत्या कर लाश को फांसी पर लटकाने का आरोप लगाया।

मृतक जलंधर यादव मूल रूप से बलौदाबाजार जिले के ग्राम कौहाबाहरा (रायतुम) का निवासी था। फिलहाल वह अपनी मां, पत्नी और तीन बच्चों के साथ अपने मामा घर पिथौरा थाना क्षेत्र के ग्राम किशनपुर में रह रहा था। मृतक की मां सुलोचना यादव आगनबाड़ी में सहायिका पद पर पदस्थ हैं और एक माह पूर्व लकवा ग्रस्त हो गई थीं। जिसके चलते उनकी देखभाल के लिए ही जलंधर किशनपुर में अस्थायी रूप से रह रहे थे।

मृतक की पत्नी अंजलि यादव ने हरिभूमि से बातचीत के दौरान बताया कि 17 सितंबर को ईंट मजदूर दलाल नरेंद्र



40 हजार लिए थे एडवांस, 80 हजार मांग रहा था मजदूर दलाल

अंजलि यादव ने आगे बताया कि पिछले वर्ष उनके पति जलंधर यादव ने ईंट भट्टा जाने के लिए मजदूर दलाल नरेंद्र राजपूत से 40 हजार रुपये एडवांस लिए थे। लेकिन, काम पर नहीं जा पाने के कारण वह रकम चुका नहीं पाया। आरोप है कि भट्टा संचालक ने इस रकम पर ब्याज जोड़कर उससे 80 हजार रुपये की मांग शुरू कर दी। इसी विवाद के चलते जलंधर को जबरन ऑफिस ले जाया गया और उसकी जान लेने के बाद उसे फांसी से लटकवा दिया गया। यह तथ्य भी सामने आए हैं कि मजदूर द्वारा रकम लेने के बाद काम पर नहीं जा रहा था।

राजपूत और उसके भाई घनश्याम राजपूत के चार गुर्गों उनके घर पहुंचे और जलंधर को जबरन कार में बैठाकर अपने साथ ले

आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग पर अड़े परिजन

वहीं मृतक के परिजन आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़े रहे और पिथौरा थाने के सामने सड़क पर प्रदर्शन भी किया। पुलिस प्रशासन द्वारा समझाइश देने के बाद प्रदर्शन समाप्त किया गया और शव का पोस्टमार्टम कराया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए महासमुंद से फोरेसिक टीम मौके पर पहुंची और शव और घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिथौरा के तीन डॉक्टरों की टीम ने मृतक का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का असली कारण स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल, पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

40 हजार रुपए बना मौत की वजह

इस घटना ने एक बार फिर ईंट भट्टा उद्योग में मजदूरों के शोषण और बंधुआ मजदूरी जैसी कुप्रथाओं की ओर ध्यान खींचा है। अक्सर गरीब मजदूर अपनी तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भट्टा मालिकों से 'पेशाबी' के नाम पर मोटी रकम एडवांस ले लेते हैं। बाद में जब वे काम पर नहीं जा पाते या रकम नहीं चुका पाते, तो भट्टा सरदार मनमाना ब्याज लगाकर उन पर दबाव बनाते हैं। जलंधर यादव का मामला भी इसी शोषण की एक दुखद कड़ी है, जहाँ 40 हजार की मामूली रकम के बदले उसे अपनी जान गंवानी पड़ी।

पत्नी का कहना है कि जलंधर को जंचोरा मार्ग स्थित भट्टा ऑफिस ले जाया गया, जहां उसे तीन दिन तक बंधक बनाकर रखा

मूर्तिकार मां दुर्गा की प्रतिमाओं को दे रहे अंतिम रूप



तैदूकोना। शारदेय नवरात्र पर्व अब एक ही दिन शेष है। पर्व को मनाने के लिए तैयारी पूरे जोश से चल रही है। समितियां पंडालों को सजाने में जुटी हुई हैं। मूर्तिकार मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं। इसी कड़ी में क्षेत्र के दाबपाली निवासी युवा मूर्तिकार सुरेंद्र चंद्रधारी मां जगदंबे की प्रतिमा को अंतिम रूप देते हुए।

गांजा परिवहन, आरोपियों के खिलाफ हुई कार्रवाई

महासमुंद। गांजा के अवैध परिवहन के मामलों में जिले के अलग-अलग थानों में कार्रवाई की गई है। बसना पुलिस ने बताया कि परसकोल चौक बंसुला में आरोपी सागर वर्मा पिता गजाधर वर्मा (23 साल) जलसे थाना कोनी जिला बिलासपुर तथा एक विद्या से संघर्षरत बालक के संयुक्त कब्जे के एक लाल रंग की मोटर साइकल बिना नंबर 9,750 किलोग्राम गांजा कीमत 1,00,000 रुपए को जब्त किया गया है। मामले में आरोपियों के विरुद्ध धारा 20(ख) नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

इधर सिटी कोतवाली पुलिस ने नयापारा रेलवे फाटक महासमुंद पहुंच कर आरोपी जगबंधु साहू पिता त्रिलोचन साहू (39 वर्ष) निवासी ग्राम कांटाबाड़ी वार्ड क्र 01 धोबी पारा जिला बलंगीर (ओडिशा) के कब्जे से कब्जे 3 किग्रा गंजा कीमत 30,000 रुपए को जब्त किया है। मामले में आरोपी के विरुद्ध धारा 20बी एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर गिरफ्तारी की गई। कोनवाली ने सार्वजनिक स्थल पर गांजा पी रहे एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने वार्ड नं 16 शीतला पारा तालाब पार महासमुंद पहुंच कर आरोपी दिलीप राजपूत के कब्जे से तीन कागज का पड्डिया में मादक पदार्थ गांजा भरा हुआ कुल 15ग्राम और बिना इस्तेमाली चोंगा बरामद कर आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की।

इसी तरह महासमुंद पुलिस ने ग्राम बेलासांडा मिडिल स्कूल के पीछे नीम पेड़ के नीचे पहुंच कर आरोपी रोहित सेन पिता स्व. संतु सेन (35 साल) निवासी वार्ड नं. 7 बेलसांडा के कब्जे से 900 ग्राम गांजा कीमत 9,000 रुपए को बरामद किया। मामले में आरोपी के विरुद्ध धारा 20 (ख)(II)(अ) के तहत कार्रवाई की गई। सरायपाली पुलिस ने आरोपी मोहसिन खान उर्फ 33 वर्ष ताजनागर झिलमिला के कब्जे से उसके मकान में रखा गांजा कुल वजन 362 ग्राम रुपए को जब्त कर आरोपी के विरुद्ध धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की। इसी तरह सरायपाली पुलिस ने दर्राभांठा मोड़ सारंगद रोड से आरोपी महादेव भोई के कब्जे से 152 ग्राम गांजा कीमत 3000 रुपए को जब्त किया। मामले में आरोपी के विरुद्ध धारा - 20 (ख) (2) एनकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। गांजा जन्ती के तीसरे मामले में सरायपाली पुलिस ने घंटेथरी मंदिर सरायपाली के पास आरोपी दशरथ निर्मलकर पिता शोभन निर्मलकर (29 वर्ष) रोहिना के कब्जे से 1.052 किलोग्राम गांजा, कीमत 20000 रुपए को जब्त कर धारा 20(ख) एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की।

नगर के श्रीराम मंदिर में तीन दिवसीय श्रीकथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन

कलश शोभायात्रा के साथ कथा ज्ञान यज्ञ का हुआ शुभारंभ

हरिभूमि न्यूज | महासमुंद

स्थानीय गांधी चौक स्थित श्रीराम शोभायात्रा में अनेक भाजपा पदाधिकारी हुए शामिल

जानकी मंदिर परिसर में कलश शोभायात्रा के साथ तीन दिवसीय श्रीकथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ। 20 से 22 सितंबर तक होने वाले इस आयोजन के प्रथम दिवस कलश शोभायात्रा की शुरुआत भाजपा प्रदेश के वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद उपासने, महासमुंद विधायक राजू सिन्हा, भाजपा जिलाध्यक्ष येतराम साहू, जिला महामंत्री प्रदीप चंद्रकार, नया उपाध्यक्ष देवीचंद राठी सहित

आयोजनकर्ताओं की उपस्थिति में हुई। कलशयात्रा में महिलाओं और श्रद्धालुओं ने श्रीरामजानकी मंदिर से मां महामाया मन्दिर, विठोबा टाकीज, नेहरू चौक से गांधी चौक तक शहर के प्रमुख मार्गों में जयकारे और सनातनी नारो के साथ शोभायात्रा पूर्ण किया। कथावाचक भूषण रोहित मोड़े द्वारा विधिविधान से पूजा अर्चना कर ज्ञान गद्दी में अनंत विभूषित भगवान जगद्गुरु रामानन्दाचार्य स्वामी नरेंद्राचार्य की वंदना के साथ ज्ञानकथा का विधिवत शुभारंभ किया। कथा के दौरान प्रवचनकार भूषण रोहित मोड़े ने कहा कि बिखरे हुए हिंदुओं को संगठित करने के साथ सनातन धर्म की रक्षा के लिए



भगवान जगद्गुरु रामानन्दाचार्य स्वामी नरेंद्राचार्य की प्रेरणा से श्रीकथा ज्ञान यज्ञ, हिन्दू धर्म की रक्षा के जनजागरण का महाभियान है, हिंदुओं की एकता के साथ मानवता का ज्ञान बोध कराने के उद्देश्य से यह वृहद आयोजन महासमुंद की पावनधरा पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे आराध्य देव भगवान श्रीराम के मंदिर प्रांगण में होने की वजह से यह आयोजन और गरिमामयी हो गई है। इस आयोजन से जुड़े हुए समिति के सभी सक्रिय सदस्यों और क्षेत्र के श्रद्धालु

सामुदाय के पात्र है, जिनके अथक प्रयास से हम सनातन धर्म की रक्षा के लिए एकजुट हुए हैं। कथा का उद्देश्य बताते हुए प्रवचनकार ने मानवता का संदेश के साथ मानवजाति के सुख समृद्धि और सुखी जीवन के लिए इस तरह के धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन आवश्यक है। हिन्दू धर्म के बिखराव और धर्म परिवर्तन को रोकने जगद्गुरु ने अपना जीवन समर्पित किया है। हम सभी मिलकर उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाएंगे, ये संकल्प हमें लेना है। हिन्दू धर्म खतरे में है ये कहा जाता रहा है। मगर, धर्म की रक्षा के लिए हमें अपना तन मन और सेवा समर्पण का भाव और कार्य समाज की रक्षा के लिए देना होगा। धर्म और

सम्प्रदाय के अनुसार पूजा पद्धति में भिन्नता हो सकती है। मगर मानवकल्याण के लिए सभी को एकजुट रहना ही होगा। दूसरे दिन कथा श्रवण का लाभ लेने का आह्वान करते हुए आयोजनकर्ताओं ने नागरिकों से भी। संस्था पूजा आरती के बाद प्रसाद वितरण के साथ कथा के प्रथम दिवस को विराम दिया गया। इस दौरान प्रमुख रूप से घनश्याम माहेश्वरी, पवन पटेल, बद्रीनाथ महेश्वरी, मनोष शर्मा, मुन्ना साहू, कृष्ण दास महाराज, हर्ष चंद्रकार, पीयूष साहू, मंगेश, रोहित चंद्रकार, शरद मराठ, मोहन शर्मा, भारतीय चंद्रकार, कल्पना सूर्यवंशी राजू चंद्रकार, श्रेता गुप्ता, ताराचंद चांडक आदि मौजूद रहे।

